

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक 10.7.17


आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 से "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" के अन्तर्गत दिनांक 10.05.2017 से 10.07.2017 तक योजना की क्रियान्विति हेतु नगर निकायों में शिविर आयोजित कर आमजन की कठिनाई के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के छूट देते हुए निर्देशित किया गया था।

उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु आयोजित किये जाने वाले शिविरों की अवधि दिनांक 11.08.2017 तक बढ़ाई जाती है।


दिनांक 11.07.2017 से 11.08.2017 अवधि में किये जाने वाले कार्यों एवं कैम्पों के प्रोग्राम की सूचना आज ही भिजवाने का श्रम करें।

आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, उक्तानुसार आदेश जारी करने बाबत।
6. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
9. जिला कलक्टर (समस्त) राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
14. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
15. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
16. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम